

श्रीमान्,

152

2025/46

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, निवासी चक 02 एसपीएम, मम्मड़ खेड़ा, तह. सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ और दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थीगण व गवाहान छिन्द्रपाल पुत्र श्री दर्शन सिंह और सुधीर मेव पुत्र श्री राजेन्द्र मेव की पहचान अधिवक्ता श्री राजपाल नायक द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तावित है।

जिला पंजीयक महोदय

Sudhir
28/11/25

Sudhir
28/11/25